(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 019/2021
GST Circular No. 015//2021

2016/AC-II/01/06/CRIS

9th March 2021

General Managers,
All Zonal Railway/Production Units

Sub: Amendment to turnover threshold for e-invoicing under GST

Ref: (1)RBA No. 94/2020/GST Circular No.50/2020 dated 17th December 2020
(2) RBA No. 78/2020/GST Circular No.44/2020 dated 08th October 2020

Railway Board vide captioned circulars had brought out applicability of e-invoicing under GST with respect to Business-to-Business (B2B) supplies procured from various suppliers (i.e. registered persons under GST). Lately, Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) vide Notification No. 05/2021- Central Tax dated 08th March 2021 has further extended the applicability of e-invoicing by reducing the turnover threshold **from hitherto notified INR 100 Crores to INR 50 crores with effect from 01st April 2021.**

Thus, pursuant to such Notification, **with effect from 1stApril 2021**, all suppliers of Indian Railways (other than certain exempted categories) having aggregate turnover more than INR 50 crore in any of the preceding Financial Year i.e. FY 2017-18, FY 2018-19, FY 2019-20 or FY 2020-21 shall comply with e-invoicing provisions and thus, any e-invoice issued by such suppliers shall mandatorily have Quick Response (QR) Code encompassing the requisite particulars.

Considering the past experiences of receipt of documents (i.e. invoices, debit notes, credit notes) pertaining to previous Financial Year (FY) in the current FY, it is certain that various documents for the period FY 2020-21 would be received in FY 2021-22 and therefore, to ensure adherence to law with respect to e-invoicing for such documents, it is hereby directed that:

- For documents dated prior to 01st October 2020: e-invoicing is not applicable

- For documents dated on or after 01st October 2020: e-invoicing is applicable for suppliers having the then notified turnover,and hence mechanism brought out videRBA under reference (2) above shall be followed

- For documents dated on or after 01st January 2021: e-invoicing is applicablefor suppliers having the then notified turnover,and hence mechanism brought out vide RBA under reference (1) above shall be followed

Moreover, the relaxations of 30 days provided earlier as brought out in RBA under reference (2) above, no longer stands applicable and hence it shall be ensured that the respective documents are e-invoicing compliant. Further, the existing mechanism followed for e-invoicing such as obtaining declarations, mapping in IREPS/IPAS etc. shall also be followed for suppliers falling under the revised applicability of e-invoicing with effect from 1stApril 2021. CRIS is hereby requested to effectuate requisite modifications in various application groups such as IPAS, IREPS etc. to ensure compliance with the above.

All Zonal Railways/Production Units must acquaint themselves with aforementioned changes in law and the allied mechanism and ensure adhere to the same in consultation with their GST Consultants. Difficulty, if any, in the implementation of these instructions may please be brought to the notice of the Board.

Digitally signed by
V.PRAKASH
Date:Fri Mar 12 09:56:19 IST
2021
Reason: Approved

(V. Prakash)
Director/Accounts
Railway Board

Copy to: -

1. All EDs, ED level empowered Committee, Railway Board
2. All Directors, Director level GST Cell, Railway Board
3. PFAs, All Zonal Railways and Production Units
4. MD/IRFC, CRIS
5. GM/Finance/GSTM, GM/AIMS,CRIS,GM/IRePS, CRIS
6. Chief Executive Officer, Ministry of Commerce and Industry, Government eMarketplace,2" Floor, Jeevan Tara Building, Sansad Marg, New Delhi 110 001. [with a request to give effect to the above in GeM portal as requested in Ministry of Railway's letter dated 27.11.2020, to ensure GST compliance.

भारत सरकार/Government of India

रेल मंत्रालय/Ministry of Railways

(रेलवे बोर्ड/Railway Board)

आरबीए सं. 019/2021

जीएसटी परिपत्र सं. 015/2021

सं. 2016/एसी-II/01/06/क्रिस 9 मार्च, 2021

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय : जीएसटी के अंतर्गत ई-बीजकीकरण के लिए टर्नओवर सीमा में संशोधन

संदर्भ :- (1)दिनांक 17 दिसंबर 2020 का आरबीए सं.94/2020/जीएसटी परिपत्र सं. 50/2020

(2) दिनांक 08 अक्तूबर, 2020 का आरबीए सं.78/2020/जीएसटी परिपत्र सं. 44/2020

रेलवे बोर्ड द्वारा उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों के तहत विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं (अर्थात् जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति) से खरीदी गई बिज़नेस-टू-बिज़नेस (बी2बी) आपूर्तियों के संबंध में जीएसटी के अंतर्गत ई-बीजकीकरण की प्रयोज्यता को लाया गया था। हाल ही में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने दिनांक 08 मार्च 2021 की अधिसूचना सं. 05/2021-केंद्रीय कर के तहत टर्नओवर सीमा को दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से अब तक अधिसूचित 100 करोड़ रूपए से 50 करोड़ रुपए तक घटा कर ई-बीजकीकरण की प्रयोज्यता को आगे बढ़ा दिया है।

अतः, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में, दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से, भारतीय रेल के सभी आपूर्तिकर्ताओं (कुछ छूट-प्राप्त कोटियों के अतिरिक्त) जिनकी पिछले किसी भी वित्त वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2017-18, वित्त वर्ष 2018-19, वित्त वर्ष 2019-20 अथवा वित्त वर्ष 2020-21 में कुल टर्नओवर 50 करोड़ रूपए से अधिक है, को ई-बीजकीकरण के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और इस प्रकार, ऐसे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जारी किसी भी ई-बीजक में अपेक्षित व्यापक विवरण वाला क्विक रिस्पांस (क्यू आर) कोड अनिवार्यतः होना चाहिए।

चालू वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष से संबंधित दस्तावेज़ों (अर्थात् बीजक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट) के प्राप्त होने के पूर्व अनुभवों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए

विभिन्न दस्तावेज़ वित्त वर्ष 2021-22 में प्राप्त होंगे और इसलिए, ऐसे दस्तावेज़ों के लिए ई-बीजकीकरण के संबंध में कानून का पालन सुनिश्चित करने हेतु एतद्द्वारा यह निदेश दिए जाते हैं कि :

- 01 अक्तूबर 2020 से पहले की तारीख के दस्तावेज़ों के लिए : ई-बीजकीकरण लागू नहीं है
- 01 अक्तूबर 2020 और उसके बाद की तारीख के दस्तावेज़ों के लिए : उस समय अधिसूचित टर्नओवर वाले आपूर्तिकर्ताओं के लिए ई-बीजकीकरण लागू होगा और इसलिए उपरोक्त (2) में संदर्भित आरबीए के तहत लाई गई क्रियाविधि अपनाई जाए।
- 01 जनवरी 2021 और उसके बाद की तारीख के दस्तावेज़ों के लिए : उस समय अधिसूचित टर्नओवर वाले आपूर्तिकर्ताओं के लिए ई-बीजकीकरण लागू होगा और इसलिए उपरोक्त (1) में संदर्भित आरबीए के तहत लाई गई क्रियाविधि अपनाई जाए।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त संदर्भाधीन (2) के तहत आरबीए में पहले दी गई 30 दिनों की छूट अब लागू नहीं है और इसलिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित दस्तावेज़ ई-बीजकीकरण के अनुरूप हों। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल, 2021 से ई-बीजकीकरण की संशोधित प्रयोज्यता के अंतर्गत आने वाले आपूर्तिकर्ताओं के लिए भी ई-बीजकीकरण के लिए पालन की गई मौजूदा क्रियाविधि जैसे घोषणा प्राप्त करने, आईआरईपीएस/आईपीएएस में मैपिंग आदि का पालन किया जाए। इसलिए क्रिस से अनुरोध है कि उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आईपीएएस, आईआरईपीएस आदि जैसे विभिन्न एप्लीकेशन ग्रुपों में अपेक्षित आशोधन कार्यान्वित करें।

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां ऊपर उल्लिखित कानून में बदलावों और संबद्ध क्रियाविधि से स्वयं को अवगत कर लें और अपने जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से उक्त का अनुपालन करें। इन अनुदेशों के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई आती है, तो उसे कृपया बोर्ड के संज्ञान में लाया जाए।

(वी.प्रकाश)
संयुक्त निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सभी कार्यपालक निदेशक, कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति, रेलवे बोर्ड।
2. सभी निदेशक, निदेशक स्तर का जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड।
3. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।
4. प्रबंध निदेशक/आईआरएफसी।
5. महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम,महाप्रबंधक/एआईएमएस,क्रिस, महाप्रबंधक/आईआरईपीएस, क्रिस।
6. प्रमुख कार्यपालक अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, द्वितीय तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110 001. [जीईएम पोर्टल में उपरोक्त को प्रभावी करने के लिए रेल मंत्रालय के दिनांक 27.11.2020 के पत्र में यथानिवेदित निवेदन के साथ, ताकि जीएसटी का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.]